

(10)

राजस्थान सरकार  
कार्मिक-5 विभाग


सं0प09826/कार्मिक/क-5/95

जयपुर, दिनांक 30.12.1997

आदेश

राजस्थान सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हेतु जाति प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा जारी समसूचक परिपत्र दिनांक 11-3-97 एवं 4-7-97 एतद्वारा वापस लिये & withdraw & जाते हैं।


आज्ञा से

  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित है:-


- 1- सचिव, राज्यपाल/मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 2- विशिष्ट सहायक, मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4- समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5- समस्त विभागाध्यक्ष, & सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित।

  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 2- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
- 3- पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर
- 4- पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
- 5- सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
- 6- रक्षित पत्रावली।

  
उप शासन सचिव